रजिस्ट्री सं० डी-- (डीएन)--128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4 नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 1991 (माघ 6, 1912)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 1991 (MAGHA 6, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	49
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	67
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	163
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम अध्यादेश, और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	71
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	119
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	59
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	7
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*कोई अंश नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	49
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	67
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	163
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	71
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	119
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	59
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	7
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1990

सं० 11/11017/6/90-सी० एस० आर०—अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 के खण्ड-2(घ) के उपबंधों के अधीन, प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री परिषद् के निम्न-लिखित सदस्यों को अन्तर-राज्य परिषद् के सदस्यों के रूप में नामित किया है :—

1. श्री देवी लाल—उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि एवं पर्यटन मंत्री
2. श्री विद्या चरण शुक्ल—विदेश मंत्री
3. श्री सुब्रमण्यन् स्वामी—विधि और न्याय मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार समेत वाणिज्य मंत्री
4. श्री यशवन्त सिन्हा—वित्त मंत्री
5. श्री मनुभाई कोटाडिया—भूतल पर्यटन मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार समेत जल संसाधन मंत्री
6. श्री राव वीरेन्द्र सिंह—खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्री

अजय चौधरी, उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 1990

संकल्प

सं० 6/4/90—ई०पी०जैड—भारत सरकार ने भारत में मुक्त पत्तन स्थापित करने की संभावना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि देश में अधिकाधिक पूंजी और उद्यम को आकर्षित करने के लिए वैकल्पिक क्षेत्र बनाया जा सके।

2. **गठन**

सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) श्री रौनक सिंह, उद्योगपति एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, फिक्की ।। — अध्यक्ष

(2) श्री हरी खोडे, उद्योगपति । — सदस्य

(3) श्री के० रविन्द्रन, उद्योगपति । — ,,

(4) श्री आर० मोतीलाल, उद्योगपति । — ,,

(5) श्री वी० एस० वेंकटरमन, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय । — ,,

(6) श्री जयन्त राय, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय । — ,,

(7) श्री जे० एस० गिल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय — सदस्य सचिव

3. **विचारणीय विषय** :

(1) देश में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता की जांच करना तथा उसके लिए उपयुक्त स्थान की सिफारिश करना।

(2) वर्तमान आर्थिक कानूनों पर विचार करना तथा ऐसी नीति तैयार करना, जो मुक्त पत्तन के लिए उचित हो और इस संबंध में सभी प्रकार की संभावनाओं को दर्शाए तथा उनके परि-णामों की जांच करना।

(3) ऐसे उद्योगों और कार्यों का सुझाव देना, जिन्हें प्राकृतिक संपदा तथा वातावरण को ध्यान में रखकर प्रस्तावित क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा सके।

(4) ऐसे निवेश की संभावना और सीमा को सुनि-श्चित करना, जिसे किसी ऐसे पत्तन पर किया जा सके।

(5) उद्योग और उद्यम को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित आवश्यक मूल अवस्थापना पर सलाह देना।

4. **कार्यकाल**

समिति का कार्यकाल छः महीने का होगा।

5. **सामान्य**

समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर सकेगी। वह अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा अपनी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी।

6. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उसके गैर-सरकारी सदस्यों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा-भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जवाहर सरकार,
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1990

संकल्प

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का संविधान 1990

फा० सं० 32-34/84-पुस्त० (प्र० एवं अ०)—इस मंत्रालय के दिनांक 11-1-90 के संकल्प सं० 32-34/84-पुस्त० का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने परिशिष्ट के अनुसार भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

एन० सिकदर,
उप-शिक्षा सलाहकार

संकल्प

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का संविधान—1990*

भारत सरकार ने सन् 1919 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को एक परामर्श निकाय के रूप में स्थापित किया जिसकी राय जनता मानेगी और जो निम्नलिखित विषयों पर पूछताछ करके अपने अभिस्ताव (सिफारिशें) प्रस्तुत करेगा : (1) ऐतिहासिक अध्ययन के लिए पुरालेखों की व्यवस्था (साधन), (2) किस अनुमाप (पैमाने) पर और किस अधियोजना के अन्तर्गत प्रलेखों के प्रत्येक वर्ग के सूचीपत्र और प्रलेख-क्रम (कलैण्डर) बनाने और उनका पुनर्मुद्रण करने का कार्य लिया जाना चाहिए (3) अभिलेखों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और उनका प्रकाशन करने के लिए अपेक्षित धनराशि, (4) प्रलेखों का सम्पादन करने के लिए सक्षम विद्वानों का चुनाव और (5) अभिलेखों तक जनता की पहुंच की समस्यायें (शिक्षा विभाग संकल्प 77 दिनांक 21 मार्च, 1919)। आयोग के कार्यकलाप में भारत की विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और विद्वत्संस्थाओं का सक्रिय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग संकल्प सं० फा० 92-9/40 ई०, दिनांकित 16 सितम्बर, 1941 द्वारा आयोग के संविधान में सुधार करने के लिए पग उठाये और उसमें भारत की विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों एवं विद्वत्संस्थाओं के मनोनीत व्यक्तियों के आयोग में सम्मिलित किए जाने के संबंध में उपबंध (प्रावधान) किये।

आयोग अपने आरम्भ काल से अब तक 53 सत्र आयोजित कर चुका है और उसने पुरालेखों के संरक्षण और उपयोग में जनता की अभिरुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार यह प्रस्वीकृति करती है कि आयोग और उसकी विभिन्न समितियों के उपक्रमणों से सूचना के अनेक नये स्रोत प्रकाश में लाये गये और भावी संतति के लिए बचा लिए गए, अनेक प्रलेख-संग्रह प्रकाशित किए गए और विद्वानों के लिए सुलभ बना दिए गये, अभिलेखों का उपयोग करने की सुविधायें सारतः बढ़ा दी गई हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य की पवित्रता के संबंध में जनता के मन में एक नई जागृति उत्पन्न कर दी गई है। जहां भारत सरकार आयोग की इन तथा दूसरी उपलब्धियों का बहुत अधिमूल्यन करती है वहां साथ ही साथ यह भी अनुभव करती है कि अभी और बहुत कुछ करना है और एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण समस्यायें भविष्य में सुलझाने के लिए खड़ी हैं। अनेक अभिलेख संग्रहों की तो अभी कोई संदर्शिका (गाइड) ही नहीं बनी है। उनकी विस्तृत विवरणात्मक सूचियां होने की तो बात ही क्या और बहुत कम शासकीय अथवा शासनेतर अभिलेख निक्षमागार हैं जिन्होंने अभी तक प्रलेख प्रकाशन का एक सुस्पष्ट कार्यक्रम विकसित

*संस्कृति विभाग, भारत सरकार, संकल्प सं०—फा० 32-34/84 पुस्त० (प्र० एवं अ०) दिनांक 15-10-1990

(तैयार) किया है । अधिकतर संग्रह अब भी आर्द्र अवस्थाओं में रखे जाते हैं और वे विनाशी कीटों, फफूंदों एवं अन्य विनाशी तत्वों (एजेंटों) के ध्वंसों के शिकार होते हैं । शासनेतर अभिरक्षा में वर्तमान अभिलेखों का विशेषत: संस्थागत, धार्मिक और वाणिज्यिक उद्भव के अभिलेखों का सर्वेक्षण, वर्णन, आयोजन अथवा उपयोग करने का बहुत कम क्रमबद्ध प्रयत्न किया गया है । देश में प्रशिक्षित पुरालेखपालों की कमी के कारण पुरालेखीय कार्य में अबाध रूप से गम्भीर रुकावटें पड़ती आ रही हैं । राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं से पुरालेखीय संग्रहों के स्वामियों में पर्याप्त उत्साह का संचार न हो सका । सरकार का विश्वास है कि राष्ट्र के आधिविध जीवन में यह एक बड़ा गम्भीर अन्तराल (गर्तिका) है और अभिलेखों और ऐतिहासिक सामग्रियों के अभिरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक गहन और अधिक हार्दिक सहयोग ही केवल मात्र साधन है जिसके द्वारा ये कमियां दूर की जा सकती हैं ।

3. इस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, संस्कृति विभाग संकल्प सं० फा० 32-34/84-लाइब्र दिनांक 26-6-84 और शुद्धि पत्र दिनांक 30-5-85 एवं 11-1/90 और इस विषय पर विद्यमान सब पूर्ववर्ती संकल्पों का अधिलंघन करते हुए आयोग का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति (संमोदन) देती है :

आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

क. पदेन सदस्य

1. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ।	अध्यक्ष
2. सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार ।	सदस्य
3. अपर सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार ।	सदस्य
4. संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग, भारत सरकार ।	सदस्य
5. अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार ।	सदस्य

ख—भारत सरकार के मनोनीत व्यक्ति :

ये बीस अग्रगण्य इतिहासकार और पुरालेखपाल होंगे और भारत सरकार इन्हें उनके अभिलेख व्यवस्था (साधन) संबंधी विशेषोपयुक्त ज्ञान अथवा भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि पर किए गए मूल योगदान के आधार पर नियुक्त करेगी ।

ग—केन्द्रीय सरकार और अर्द्धशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि :

1. विदेश (परराष्ट्र) मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. प्रतिरक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली ।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
6. संस्कृति विभाग (वित्तीय सलाहकार), नई दिल्ली ।

घ—1—राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :

जिन राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों का अपना निजी संघटित अभिलेख निक्षेपागार है उनमें से प्रत्येक का एक मनोनीत व्यक्ति जो सदैव उस राज्य/संघशासित प्रदेश का पुरालेख-अभिरक्षक ही होगा ।

2—प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियां :

जिन राज्यों/संघशासित प्रदेशों की विभिन्न प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियों का संघटित अभिलेख निक्षेपागार नहीं है उनमें से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ।

ङ—विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि जो भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि का इतिहास पढ़ाते हैं :

भारत के नीचे उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक मनोनीत व्यक्ति जो भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि पढ़ाता हो और मूल अभिलेखों में अनुसंधान करने और उनका प्रकाशन करने के कार्य को उत्साहित करता हो एवं अपना पुरालेखागार संघटित करने में तथा शासनेतर और अर्द्धशासकीय अभिरक्षा में विद्यमान अभिलेखों का सर्वेक्षण और समन्वेक्षण करने में आयोग के साथ सहयोग करता हो :

(1) आगरा विश्वविद्यालय (2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (3) इलाहाबाद विश्वविद्यालय (4) आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, (5) अन्नामालय विश्वविद्यालय, (6) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, (7) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, (8) बंगलौर विश्वविद्यालय, (9) बरहमपुर विश्वविद्यालय, (10) भागलपुर विश्वविद्यालय, (11) भोपाल विश्वविद्यालय, (12) बिहार विश्वविद्यालय, (13) बम्बई विश्वविद्यालय, (14) बर्दवान विश्वविद्यालय, (15) कलकत्ता विश्वविद्यालय, (16) दिल्ली विश्वविद्यालय, (17) डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, (18) गोहाटी विश्वविद्यालय, (19) गोरखपुर विश्वविद्यालय (20) गुजरात विश्वविद्यालय, (21) गुजरात विद्यापीठ, (22) गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, (23) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, (24) इन्दौर विश्वविद्यालय, (25) जबलपुर विश्वविद्यालय, (26) जादवपुर विश्वविद्यालय, (27) जामियामिलिया इस्लामिया, (28) जम्मू विश्वविद्यालय, (29) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, (30) जीवाजी विश्वविद्यालय, (31) जोधपुर विश्वविद्यालय, (32) कर्नाटक विश्वविद्यालय, (33) काशी विद्यापीठ, (34) काश्मीर विश्वविद्यालय, (35) केरल विश्वविद्यालय,

(36) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, (37) लखनऊ विश्वविद्यालय, (38) मद्रास विश्वविद्यालय, (39) मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, (40) मगध विश्वविद्यालय, (41) महाराजा सैयाजं राव विश्वविद्यालय, (42) मराठवाडा विश्वविद्यालय, (43) मेरठ विश्वविद्यालय, (44) मैसूर विश्वविद्यालय, (45) नागपुर विश्वविद्यालय, (46) उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, (47) उसमानिया विश्वविद्यालय, (48) पटना विश्वविद्यालय, (49) पूना विश्वविद्यालय, (50) पंजाब विश्वविद्यालय, (51) पंजाबी विश्वविद्यालय, (52 रविन्द्रभारतीय विश्वविद्यालय, (53) राजस्थान विश्वविद्यालय, (54) रांची विश्वविद्यालय, (55) रविशंकर विश्वविद्यालय, (56) सागर विश्वविद्यालय, (57) सम्बल पुर विश्वविद्यालय, (58) सरदार पटेल विश्वविद्यालय (59) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, (60) शिवाजी विश्वविद्यालय, (61) श्रीवेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, (62) सुखाडिया विश्वविद्यालय, (63) उत्कल विश्वविद्यालय, (64) विक्रम विश्वविद्यालय, (65) विश्वभारती ।

(घ) विद्वत्संस्थाओं के प्रतिनिधि

1. भारतीय इतिहास महासभा (कांग्रेस) ।
2. एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ।
3. एशियाटिक सोसायटी, बम्बई ।
4. भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पूना ।
5. गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पूर्ण ।
6. इण्डियन इन्सिटीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज, शिमला ।
7. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।
8. इण्डियन कौंसल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली ।
9. इंस्टीट्यूट दे चन्द्र नगर, चन्द्र नगर, (पश्चिमी बंगाल) ।
10. हेरास इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कलचर, बम्बई ।
11. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, नई दिल्ली ।
12. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन आर्कीविस्ट्स, नई दिल्ली ।
13. इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एण्ड एन्टीक्वेरियन स्टडीज इन आसाम, गोहाटी ।
14. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ।
15. श्री नातनगर शोध संस्थान, सीतामऊ ।
16. सामाजिक, आर्थिक अनुसंधान संस्थान, सी-19, कालेज स्ट्रीट मार्किट, कलकत्ता ।

(छ) तत्संबद्ध (कारेस्पोंडिंग) सदस्य

इस संवर्ग के सदस्यों का चुनाव भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों तक, जो सक्रिय रूप से अभिलेखों में अभिरुचि रखते हैं, सीमित रहेगा । इस अभिरुचि का साक्ष्य केवल पर्याप्त योग्यता की प्रकाशित कृति ही मानी जाएगी । तत्संबद्ध सदस्यों का चुनाव और उनकी नियुक्ति भारत सरकार करेगी ।

4. भारत सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों के मनोनीत व्यक्ति ऐसे हों, जो पूर्णतया पुरालेख और पुरालेखीय प्रविधियों से परिचित हों और विश्वविद्यालयों, विद्वत्संस्थाओं तथा अन्य अनुसंधान निकायों के मनोनीत व्यक्ति आधिविध वरेण्यता वाले व्यक्ति हों जिन्हें भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि में पर्याप्त अच्छा मौलिक अनुसंधान करने का श्रेय प्राप्त हो । भारत सरकार द्वारा इन सब निकायों के मनोनीत व्यक्तियों के मनोनयन अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात् ये लोग आयोग के सदस्य बन जाते हैं ।

5-I पदेन सदस्यों से भिन्न आयोग के सदस्य और उसके सब तत्संबद्ध सदस्य निम्नलिखित रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किये जायेंगे—

(1) सब नियुक्तियां और पुनर्नियुक्तियां पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए समहृत: (एन ब्लाक) उसी दिनांक से की जायेंगी, किन्तु अवधि के समाप्त होने पर सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(2) पांच वर्ष की उक्त अवधि में जो रिक्ति त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप अथवा अन्य कारणवशात् होगी वह पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए नहीं अपितु केवल अवधि के अनवसित भाग के लिए पूरित की जायेगी ।

II. आयोग के कार्यकलाप का क्षेत्र निम्नलिखित तक सीमित रहेगा—

(1) पुरालेखों और ऐतिहासिक प्रलेखों स्रष्टाओं, अभिरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के बीच पुरालेख साधन, पुरालेख परिरक्षण और पुरालेख उपयोग के संबंध में विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदानार्थ एक विचार स्थल (फोरम) का काम करना और इसमें प्रयोजना के लिए समुपयुक्त शासकीय अथवा शासनेतर निकायों (बोडीज) को अपनी सिफारिशें भेजना ।

(2) अन्वेषन की अपेक्षा रखनेवाली ऐतिहासिक समस्याओं से संबंध रखनेवाले विशेषकर उन समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले जिन पर थोड़ा अथवा कुछ भी काम नहीं किया गया है, पुरालेखों पर चर्चा के लिए वाद स्थल (फोरम) का काम करना और (उस संबंध में) आधिविध सत्र (ऐकेडेमिक सेशन) करना । इस

अधिविष्ट सत्र में हाल में पता लगाये गये भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि के मूल अभिलेखों पर आधारित लेख पढ़े जायें और उन पर चर्चा की जाये। ये लेख या तो आयोग के सदस्यों द्वारा लिखे जाने चाहियें या यदि दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे जायें तो आयोग के सदस्यों द्वारा भेजे जाने चाहिये। सब ऐसे लेख इस प्रयोजन के लिए बनाई जानेवाली एक सम्पादकीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रथमतः ही परिचालित किये जाने चाहियें।

(3) विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, विद्वत्संस्थाओं और विशेषतः प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियों और इस प्रकार के स्थानीय निकायों (बोडीज) के सहयोग से शासनेतर और अर्द्ध-शासकीय अभिरक्षा में वर्तमान सामग्रियों की (जिनमें संस्थागत, धार्मिक और व्यावसायिक अभिलेख भी सम्मिलित हैं) विनाश से रक्षा करने और उनका उपयोग करने के कार्य को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में किए गए काम पर सूचना के लिए एक समाशोधनगृह (क्लीयरिंग हाऊस) का काम करना।

(4) अभिलेख एवं ऐतिहासिक पाण्डुलिपि निक्षेपागारों और अनुसंधान में अभिरुचि रखनेवाले निकायों (बोडीज) के बीच में सामान्यतया एक माध्यम (क्लीयरिंग हाऊस) का काम करना।

(5) कार्यवाहियां (प्रोसीडिंग्ज) और विवरणिकायें (बुलेटिन्स) प्रकाशित करना, जिनमें आयोग के कार्यकलाप और उसके उद्देश्य को बढ़ावा देनेवाली दूसरी बातों का प्रतिवेदन समाविष्ट हो।

सामान्यतया आयोग का सत्र वर्ष में एक बार हुआ करेगा और सत्र स्थल के लिए ऐसा स्थान चुना जायेगा जो पुरालेखीय सामग्रियों में समृद्ध हो। प्रत्येक सत्र में निम्नलिखित समाविष्ट होना चाहिये :—

(1) सचिव द्वारा देश में की गई पुरालेखीय प्रगति पर प्रस्तुत किये जानेवाले प्रतिवेदन के संबंध में एक सार्वजनिक बैठक होगी।

(2) सचिव के प्रतिवेदन पर एवं सदस्यों द्वारा आयोग को निर्दिष्ट की गई (भेजी गई) पुरालेख अभिरक्षण और पुरालेख उपयोग संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने तथा विभिन्न निकायों (बोडीज) द्वारा आयोग के संरक्षण में लिए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक कार्य बैठक होगी।

(3) भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि के मूल अभिलेखों पर आधारित लेख पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए एक आधिविष्ट सत्र (ऐकेडिमक सैशन) होगा। इस प्रकार के सत्रों में अभिरुचि रखने वाले जनसाधारण भी सम्मिलित हो सकेंगे। तत्संबद्ध (कोरेस्पोंडिंग) सदस्य आयोग की कार्य बैठकों को छोड़कर, सभी बैठकों में सम्मिलित हो सकेंगे। कार्य बैठकों में वे विशेष आमंत्रण पर ही सम्मिलित हो सकते हैं।

पदेन अध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। किन्तु अपनी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए एक वरिष्ठ सदस्य को मनोनीत करने का उन्हें अधिकार होगा।

(6) स्थायी समिति :

आयोग अनुसंधान की अपेक्षा रखनेवाली विशिष्ट समस्याओं से संव्यवहार करने के लिए एक अथवा एक से अधिक समितियां नियुक्त कर सकता है। ये समितियां अपने प्रतिवेदन आयोग को भेजेंगी।

भारत सरकार निम्नलिखित संरचना और प्रकार्यों वाली एक स्थायी समिति बनाएगी :—

I. संरचना :

(क) सचिव, संस्कृति विभाग भारत सरकार।	पदेन सभापति
(ख) अपर सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार।	पदेन उप सभापति
(ग) संयुक्त सचिव/ संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग।	सदस्य
(घ) भारत सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किए जाने वाले बारह सदस्य। ये सदस्य पुनर्मनोनयन के लिए पात्र होंगे।	
(ङ) अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार।	पदेन सचिव

II. प्रकार्य :

स्थायी समिति भारतीय अभिलेख आयोग द्वारा समय समय पर की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन करेगी, अपने पास भेजे गए सब प्रतिवेदनों और मदों पर विचार करेगी, आयोग की बैठक की कार्यावलि (एजेण्डा) पर अपने विचार प्रफैट करेगी जो भारत सरकार अथवा आयोग के अध्यक्ष उसे देंगे। साधारणतः एक वर्ष में दो बार बैठक होगी।

7. पदेन अध्यक्ष, सचिव, संस्कृति विभाग (पदेन अध्यक्ष, स्थायी समिति) अपर सचिव, संस्कृति विभाग (पदेन उपाध्यक्ष स्थायी समिति) संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग, आयोग के सचिव, भारत सरकार के

नामित (जिनका उपर्युक्त पैरा 3क, ख में उल्लेख किया गया है) और स्थायी समिति के ऐसे सदस्यों, जोकि सरकारी अधिकारी हैं और आयोग और इसकी समितियों की बैठक (में भाग लेते हैं, को यात्रा भत्ता केन्द्रीय राजस्व से प्राप्त होगा और उसके खर्च को उसके वेतन के रूप में उसी शीर्ष के नाम में डाला जाएगा।

8. भारत सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में मनोनीत शासनेतर व्यक्तियों को और स्थायी समिति के शासनेतर व्यक्तियों की आयोग की और उसकी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम (ग्रेड) के अधिकारियों को दिए जानेवाले भत्तों की दर से यात्रा भत्ते और केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम (ग्रेड–1) के अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों के लिए अनुमन्य सबसे ऊंची दर से दैनिक भत्ता दिया जायेगा। व्यय राष्ट्रीय अभिलेखागार के आय-व्यय अनुदान (बजट ग्राण्ट) से किया जायेगा। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संघटक (कन्स्टिट्यूएण्ट) संस्थानों से अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने मनोनीत व्यक्तियों के यात्रा भत्तों के व्यय स्वयं करें। केन्द्रीय सरकार के मनोनीत व्यक्तियों से भिन्न शासनेतर सदस्यों को, जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की किसी भी समिति में काम करने के लिए नियुक्त किये जायें, यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उन शासनेतर सदस्यों को दिया जाता है जो साधारण सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं।

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 90

सं० क्यू०-16012/2/89-ई०एस०ए० (डब्ल्यू०ई०)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(v) और (vii) के साथ पठित नियम (3) (iv) के अनुसरण में, भारत सरकार इसके द्वारा श्री एच० पी० नथानी, के स्थान पर श्री जोगिन्द्र कुमार, अध्यक्ष, युनाइटिड साईकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, गिल रोड, लुधियाना को भारतीय लघु उद्योग संघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। तदनुसार, भारत के राजपत्र भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की तारीख 25 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/2/89-ई० एस०ए० (डब्ल्यू०ई०), समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात्

"12 श्री एच०पी० नथानी,
शिवा ग्लास वर्क्स कंपनी, लि०,
27, बराबोर्न रोड
कलकत्ता-700 001।

(एफ० ए०एस०आई०आई०)

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :—

"12. श्री जोगेन्द्र कुमार,
अध्यक्ष,
युनाईटिड साईकिल एण्ड पार्टस मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन गिल रोड, लुधियाना-141003

जी० एस० लोबाना
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th December 1990

No. IV/11017/6/90-CSR.—Under the provisions of Clause 2(d) of the Inter-State Council Order, 1990, the Prime Minister has nominated the undermentioned Members of the Union Council of Ministers as Members of the Inter-State Council :—

1. Shri Devi Lal,
Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture and Tourism.

2. Shri Vidya Charan Shukla,
Minister of External Affairs.

3. Shri Subramanian Swamy,
Minister of Commerce with additional charge of the Ministry of Law & Justice.

4. Shri Yashwant Sinha,
Minister of Finance.

5. Shri Manubhai Kotadia,
Minister of Water Resources with additional charge of the Ministry of Surface Transport.

6. Shri Rao Birendra Singh,
Minister of Food and Civil Supplies.

AJOY CHAUDHURI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 24th December 1990

RESOLUTION

No. 6/4/90-EPZ.—The Government of India have decided to set up an Advisory Committee for submitting a Report on the feasibility of setting up a Free Port in India to provide an alternative area for attracting, in greater measure, capital and enterprise to the country.

2. *Constitution*

The Advisory Committee will consist of :—

Chairman

(1) Shri Raunaq Singh
Industrialist and
formerly President, FICCI.

Members

(2) Shri Hari Khoday
Industrialist.

(3) Shri K. Ravindran
Industrialist.

(4) Shri K. R. Motilal
Industrialist.

(5) Shri V. S. Venkataraman
Additional Secretary,
Ministry of Commerce.

(6) Dr. Jayanta Roy
Economic Adviser,
Ministry of Commerce.

Member-Secretary

(7) Shri J. S. Gill
Joint Secretary,
Ministry of Commerce

3. *Terms of Reference*

(i) To examine the desirability and feasibility of setting up a free Port in the country and to recommend a suitable location therefor

(ii) To consider the existing economic laws and to suggest the type of policy regime which would be appropriate for a Free Port, indicating a spectrum of possibilities in this regard and examine their implications.

(iii) To suggest the type of industries and activities that should be encouraged in the proposed area keeping in view natural endowments and environmental factors.

(iv) To ascertain the likelyhood and extent of investment that can be brought into such a Free Port.

(v) To advise as to the extent of basic infrastructure which would need to be provided to attract industry and enterprise.

4. *Tenure*

The tenure of the Committee will be six months.

5. *General*

The Committee may coopt additional members and invite experts to attend its meeting or appoint Sub-Committees as may be deemed necessary.

6. *Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling allowances for attending the meetings of the Committee at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission and Comptroller & Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

JAWHAR SIRCAR, Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT,

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 15th October 1990

RESOLUTION

CONSTITUTION OF THE INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION 1990

No. F. 32-34/84-Lib.(P&A).—In supersession of this MINISRY's Resolution No. 32-34/84-Lib. dated 11-1-90, the Government of India have decided to reconstitute the Indian Historical Records Commission as per Annexure.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Sec. 1.

N. SIKDAR, Dy. Educational Advisor

CONSTITUTION OF THE INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION 1990*

The Indian Historical Records Commission was set up by the Government of India in 1919 as a consulting body, whose opinion would carry weight with the public and which would make enquiries and recommendations regarding (i) treatment of archives for historical study, (ii) the scale and plan on which the cataloguing, the calendaring and reprinting of each class of documents should be undertaken, (iii) the sums required for encouraging research among, and publication of records, (iv) selection of competent scholars for editing documents, and (v) the problems of public access to records (Department of Education Resolution No. 77 dated 21 March 1919). With a view to promoting active cooperation of the various State Governments in India as also the universities and learned institutions in the country in the activities of the Commission, the Government of India by their Department of Education, Health and Lands Resolution No. F. 92-9/40-E, dated 10 September 1941, took steps to reform the Constitution of the Commission providing for the inclusion in it of nominees of the various State Governments in India as also those of the Universities and learned societies.

2. The Commission has since its inception held fifty three Sessions and has contributed significantly to the growth of public interest in the conservation and use of archives. The Government of India do recognise that it was through the initiative of the Commission and its different Committees that many new sources of information have been brought to light and saved for posterity, many collections of documents have been published and made accessible to scholars, facilities for the use of records have been materially enhanced and a new conscience has been aroused in the public mind in respect of the sanctity of historical evidence. While the Government of India note with deep appreciation these and other achievements of the Commission, they do feel at the same time that much work still remains to be done and that a host of important problems are still awaiting to be attacked. Many record collections are still without any guides or hand-book let alone comprehensive descriptive lists, and very few repositories, public or private, have yet developed a well-articulated programme of documents-publication. Most of the collections still continue to be housed in primitive conditions and are subjected to the ravages of insect pests, moulds and other destructive agents. Very little systematic effort has been made to survey, describe, organise or make use of records in private custody, and particularly, those of institutional, religious or com-

*Department of Culture, Government of India, Resolution No. F. 32-34/84-Lib.(P&A) dated 15-10-1990.

mercial provenance. Lack of trained archivists continues seriously to impede the archival work in the country and the training, facilities available in the National Archives have hardly stimulated an adequate response among the owners of archival holdings. Government believe that these constitute very serious lacunae in the academic life of the national and that greater and more whole-hearted cooperation between Keepers of Records and historical materials on the one hand and their users on the other is the only means by which these deficiencies could be removed.

3. In order to promote such cooperation the Government of India, in supersession of the Department of Culture Resolution No. 32-34/84-Lib. dated 26-6-84 and corrigendum dated 30-5-85 and dated 11-1-90 and all earlier Resolutions on the same subject, are pleased to sanction a reconstitution of the Commission on the following lines :

The Commission shall consist of the following members:

A. *Ex-Officio- Members*

President

1. Minister of State for Human Resource Development, Government of India.

Members

2. Secretary, Department of Culture, Government of India.

3. Additional Secretary, Department of Culture, Government of India.

4. Joint Secretary/ Joint Educational Advisor, Department of Culture, Government of India.

Secretary

5. Director General of Archives, Government of India.

B. *Nominees of the Government of India*

These shall be 20 eminent historians and archivists to be appointed by the Government of India on the basis of their specialised knowledge of the treatment of archives or their original contribution to the post-1600 period of Indian History.

C. *Representatives of the Central Government and Semi-Government Institutions, one each from the following agencies*

1. Ministry of External Affairs, New Delhi.
2. Ministry of Home Affairs, New Delhi.
3. Ministry of Defence, New Delhi.
4. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.
5. University Grants Commission, New Delhi
6. Department of Culture (Financial Advisor), New Delhi.

D. 1 *Representatives of State Governments/Union Territories*

One nominee each of the State Governments/Union Territories having an organised record repository of its own, the nominee being invariably the custodian of Archives of the State/Union Territory.

2. *Regional Records Survey Committees*

One representative each of various Regional Records Survey Committees from States/Union Territories having no organised record repository.

E. *Representatives of Universities teaching post-1600 period of Indian History*

One nominee each from every such University in India teaching post-1600 period of Indian History and encouraging research among, and publication of original records and cooperating with the Commission in organising its own archives and in conducting survey and exploration of records in private and semi-public custody as mentioned hereunder :

(1) Agra University, (2) Aligarh Muslim University, (3) Allahabad University, (4) Andhra University, (5) Annamalai University, (6) Awadesh Pratap Singh University, (7) Benaras Hindu University (8) Bangalore University, (9) Berhampur University, (10) Bhagalpur University, (11) Bhopal University, (12) Bihar University, (13) Bombay University, (14) Burdwan University, (15) Calcutta University (16) Delhi University, (17) Dibrugarh University, (18) Gauhati University, (19) Gorakhpur University, (20) Gujarat University, (21) Gujarat Vidyapith, (22) Guru Nanak Dev University, (23) Himachal Pradesh University, (24) Indore University, (25) Jabalpur University, (26) Jadavpur University, (27) Jamia Millia Islamia, (28) Jammu University, (29) Jawaharlal Nehru University, (30) Jiwaji University, (31) Jodhpur University, (32) Karnataka University, (33) Kashi Vidyapith, (34) Kashmir University, (35) Kerala University, (36) Kurukshetra University, (37) Lucknow University, (38) Madras University, (39) Madurai Kamaraj University, (40) Magadh University, (41) The Maharaja Sayajirao University, (42) Marathwada University, (43) Meerut University, (44) Mysore University, (45) Nagpur University, (46) North Bengal University, (47) Usmania University, (48) Patna University, (49) Poona University, (50) Punjab University, (51) Punjabi University, (52) Rabindra Bharati University, (53) Rajasthan University, (54) Ranchi University, (55) Ravishankar University, (56) Saugar University, (57) Sambalpur University, (58) Sardar Patel University, (59) Saurashtra University, (60) Shivaji University, (61) Sri Venkateswara University, (62) Sukhadia University, (63) Utkal University, (64) Vikram University, (65) Visva Bharati.

F. *Representatives of Learned Institutions one each from the following :*

1. Indian History Congress.
2. Asiatic Society, Calcutta.
3. Asiatic Society, Bombay.
4. Bharata Itihasa Samshodhaka Mandala, Pune.
5. Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune.
6. Indian Institute of Advanced Study, Shimla.
7. Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
8. Indian Council of Historical Research, New Delhi.
9. Institute de Chandernagor, Chandernagor (West Bengal).
10. Heras Institute of Indian History and Culture, Bombay.
11. Indian Institute of Islamic Studies, New Delhi.
12. Association of Indian Archivists, New Delhi.
13. Institute of Historical and Antiquarian Studies in Assam, Gauhati.
14. Indian Institute of Management, Ahmedabad.
15. Shri Natnagar Shodh Samsthan, Sitamau.
16. Socio-Economic Research Institute, C-19 College street Market, Calcutta.

G. *Corresponding Members*

The selection of Members in this category will be confined to persons residing outside Indian and actively interested in records, only published work of sufficient merit being accepted as evidence of such interest. The Corresponding Members are to be selected and appointed by the Government of India.

4. The Government of India desire that nominees of the State Governments should be persons thoroughly conversant with archives and archival techniques and that the nominees of Universities, Learned Institutions and other Research bodies should be men of academic distinction with considerable amount of original research work on the history of India of the post-1600 period to their credit. The nominees of all these bodies will become members of the Commission after their nominations have been notified by the Government of India.

5.I The Members of the Commission, other than ex-officio Members and also all the Corresponding Members of the Commission will be appointed for a term of five years as follows :

(1) All appointments and re-appointments for a full term of five years will be made en-bloc with effect from the same date but on the expiry of their terms, the members concerned will be eligible for re-appointment.

(2) Vacancy due to resignation or otherwise which may occur within the period of five years will not be filled for a full term of five years but only for the unexpired period of the term.

II. The scope of the Commission's activities shall be limited to the following :

(1) To act as a forum for exchange between creators, custodians and users of archives and historical documents, of ideas and experiences relating to treatment, preservation and use of archives, and to make recommendations to appropriate bodies, official or non-official in this behalf.

(2) To act as a forum for discussion on archives in relation to historical problems requiring investigation, particularly in relation to those on which little or no work has been done, and to hold academic session. At this academic session papers based on newly discovered original records pertaining to the post-1600 period of Indian history be read and discussed. These papers should be written either by the Members of the Commission or communicated through them if written by other scholars. All such papers should be circulated in advance after getting them approved by an Editorial Committee to be constituted for the purpose

(3) To promote the salvaging and use of material in private and semi-public custody (including institutional, religious and business records) in collaboration with universities, libraries, museums, learned societies, and particularly with the Regional Records Survey Committees and similar local bodies, and to act as a clearing house of information on the work done in this field.

(4) To act generally as an intermediary between record and historical manuscript repositories on the one hand and bodies interested in research on the other.

(5) To publish proceedings and bulletins embodying reports on its activities and on other matters promoting its objective.

III. The Commission shall normally meet once a year at a place rich in archival materials being selected as the venue. Each session should include :

(1) A public meeting devoted to the report to be presented by the Secretary on the archival progress in the country.

(2) A business meeting or the discussion of the Secretary's Report as also the problems relating to keeping and use of archives that may be referred to it by the members and for review of programmes undertaken by different bodies under its auspices.

(3) Academic Session for reading and discussion of papers based on original records pertaining to the post-1600 period of Indian history. Such sessions shall be open to the interested public.

Corresponding Members will be entitled to participate in all the meetings of the Commission except its business meetings which they may attend only by special invitation.

The Commission's meetings are to be presided over by the ex-officio President. He shall however, have the right to nominate a senior member to act as President in his absence.

6. Standing Committee

The Commission may appoint one or more Committees to deal with the particular problems requiring investigation. Such Committee shall submit their reports to the Commission.

The Government of India shall set up a Standing Committee with the following composition and functions :

I. *Composition*

Ex-Officio Chairman

(a) Secretary to the Government of India, Department of Culture.

Ex-Officio Vice-Chairman

(b) Additional Secretary to the Government of India, Department of Culture.

Members

(c) Joint Secretary/Joint Educational Advisory, Department of Culture.

(d) Twelve Members of the Commission to be nominated by the Government of India for a term of two years.

The members shall be eligible for re-nomination.

Ex-Officio Secretary

(e) Director General of Archives, Government of India.

II. *Functions*

The Standing Committee will review the action taken from time to time on the recommendations made by the Indian Historical Records Commission, consider all reports and items referred to it and express its views on the agenda for the Commission's meeting, and perform such other functions as the Government of India or the President of the Commission may assign to it. It will ordinarily meet twice a year.

7. The travelling allowance of the *Ex-Officio* President, Secretary, Department of Culture (*Ex-Officio* Chairman of the Standing Committee), Additional Secretary, Department of Culture (*Ex-Officio* Vice-Chairman of the Standing Committee), Joint Secretary/Joint Educational Advisor, Department of Culture, Secretary of the Commission, the nominees of the Government of India (Referred to in para 3 (A-B above) and such members of the Standing Committee who are Government Officials attending the meeting(s) of the Commission and its Committees will be a charge on the Central Revenues, and the expenditure for the same will be debitable to the same head as their pay.

8. Non-Officials appointed by the Government of India as Members of the Commission or its Committee will draw travelling allowances for attending meetings of the Commission or its Committees at rates admissible to Grade-I Officers of the Central Government and daily allowances at the highest rate admissible to Grade-I Officers of the Central Government for respective localities. The expenditure will be met from the budget grant of the National Archives of India. The State Governments, the Universities and other constituent Institutions will be required to bear the travelling allowances of their nominees. The travelling allowance for non-official members other than Central Government nominees who may be appointed to serve on any Committee of the Indian Historical Records Commission will be paid at the same rate as those of non-official members appointed by the Central Government as Ordinary Members.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th December 1990

No. Q-16012/2/89-ESA(WE)(.).—In pursuance of Rule 3(iv) read with Rule 4(v) and (vii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Shri Joginder Kumar, President, United Cycle and Parts Manufacturers Association, Gill Road, Ludhiana, as a member of the Central Board for Workers Education in place of Shri H. P. Nathani, to represent Federation of Associations of Small Industries of India, New Delhi from the date of issue of this Notification.

The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/2/89-ESA (WE) dated 25th June, 1990 published in the Gazette of India, Part-I, Section-1 as amended from time to time.

(i) For the existing entry viz :—

"12. Shri H. P. Nathani.
Shiva Glass Works Co. Ltd.,
27, Brabourne Road, Calcutta-700 001".
(FASII)

(ii) the following entry shall be *substituted* viz. :—

"12. Shri Joginder Kumar,
President,
United Cycle & Parts Manufacturers Association,
Gill Road, Ludhiana-141 003." (FAS II)

G. S. LOBANA, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1991
Printed by the Manager, Government of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1991